न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 22.5. R.T.A. मु. नं0 63 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
11.09.2023	अपील धारा 5 पर निर्णय हेतु रखी हुए दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पो. नोटिस जारी हो। तहसील से रिकार्ड मंगाया। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26.9.23 को पेश हो।	2.1.24
26.9.23	पत्रावली प्रस्तुत वादी अपीलांट / रेस्पो० उपस्थित. पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 2.1.24 को पेश हो।	
2.1.24	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] उपस्थित. पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 2.2.24 को पेश हो।	
2.2.24	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] उपस्थित. पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 22.3.24 को पेश हो।	
22.3.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ के आज्ञा [illegible] कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 21.5.24 को पेश हो।	
21.5.24	पत्रावली प्रस्तुत वादी अपीलांट / रेस्पो० उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 16.7.24 को पेश हो।	
16.7.24	पत्रावली पेश / अधि. अपीलांट उप. [illegible] का [illegible] तलबी 16 [illegible] 31.7.24 को [illegible] पेश हो।	

दिनांक	आज्ञा पत्र
31/7/24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप.। तहत का रिकार्ड प्राप्त। बहस वकील अपीलांट सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 63/2023

1 सुरेश कुमार उम्र 45 साल पुत्र स्व. महावीर प्रसाद जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 25 गोगामेड़ी के पास रामगढ़ शेखावटी जिला सीकर राज. जरिये मुखत्यार ओमप्रकाश उम्र 40 साल पुत्र स्व. महावीर प्रसाद जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 25 गोगामेड़ी के पास रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राज.।
2 ओमप्रकाश उम्र 40 साल पुत्र स्व. महावीर प्रसाद
3 विमला देवी उम्र 72 साल बेवाह महावीर प्रसाद
4 किशनलाल उम्र 65 साल पुत्र स्व. भगवानाराम
5 दीनदयाल उम्र 35 साल पुत्र स्व. रामलाल
6 सुरेन्द्र उम्र 32 साल पुत्र स्व. रामलाल
7 कमल उम्र 38 साल पुत्र स्व. रामलाल
8 दुर्गा देवी उम्र 60 साल बेवाह रामलाल समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 25 गोगामेड़ी के पास रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 बालकिशन उम्र 60 साल पुत्र स्व. विश्म्भरलाल जाति महाजन अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 16 फतेहपुर गेट के बाहर रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध आदेश अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर शेखावाटी बउनवानी प्रकरण
विश्वम्भरलाल बनाम भगवाना आदि मु.नं. 40/2002
आदेश दिनांक 11.03.2008 को अपास्त करवाने बाबत।

उपस्थिति :

1. श्री प्रवीण गोस्वामी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतहेपुर शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 40/2002 में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पिता की ओर से धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर कस्बा रामगढ़ शेखावाटी की भूमि खसरा नम्बर 476, 477, 478 के सदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा इसके साथ ही रिसिवरी का आदेश भी प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन

रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध उक्त धाराओं जुर्म साबित पाये जाने पर गिरफ्तारी की आशंका से रेस्पोडेन्ट के पिता विश्म्भरलाल ने अपनी अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 07.06.2021 को स्वीकार हुई जिसके दो दिन पश्चात 09.06.2021 को उसकी मृत्यु हो गई उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट को गिरफ्तार किया जाकर चालान प्रस्तुत हुआ जो अभी अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर में विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट ने अपने पक्ष में जारी अपंजीकृत वसीयत को सक्षम न्यायालय में प्रोबेट भी नहीं करवाये जाने के कारण उक्त चुनौतिग्रस्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि बाबत विचारण न्यायालय ने अपने आदो में उभयपक्षकारान के मध्य विवादित भूमि को लेकर गम्भीर विवाद उत्पन्न होना माना है जबकि विवादित भूमि पर अपलान्टस का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों को व अपंजिकृत वसीयत को रेस्पोडेन्ट के दावे का आधार मानकर भारी भुल की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त काश्त भूमियों में खसरा गिरदावरी में आरम्भ से ही अपीलान्टस के पूर्वजों का नाम चला आ रहा है अपीलान्टस के पूर्वज पहले से ही काबिज थे उनके साथ साथ अपीलान्टस भी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांट के पूर्वज भगवानाराम की मृत्यु होने के कारण अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं हुई जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधि प्रकिया की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा धारा 212 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। यह आवेदन 22.05.94 को पेश किया गया था। इसके उपरांत दिनांक 06.01.95 को प्रार्थी द्वारा रिसिवर का आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है। विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज नहीं है। जिस वसीयत के आधार पर वादी वाद एवं आवेदन लेकर आया है। उस वसीयत की वैद्यता एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उस वसीयत के आधार पर अधिकारों का निर्धारण मूलवाद में तय होना शेष है। प्रार्थी न तो विवादित भूमि का खातेदार है, न ही विवादित भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। साक्ष्य के अभाव में विवादित भूमि के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा रिसिवरी के आवेदन में किया गया कैश सिक्योरिटी का आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधि प्रक्रिया की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा धारा 212 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। यह आवेदन 22.05.94 को पेश किया गया था। इसके उपरांत दिनांक 06.01.95 को प्रार्थी द्वारा रिसिवर का आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है। विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज नहीं है। जिस वसीयत के आधार पर वादी वाद एवं आवेदन लेकर आया है। उस वसीयत की वैद्यता एवं उस वसीयत के आधार पर अधिकारों का निर्धारण मूलवाद में तय होना शेष है। प्रार्थी न तो विवादित भूमि का खातेदार है, न ही विवादित भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। साक्ष्य के अभाव में विवादित भूमि के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा रिसिवरी के आवेदन में किया गया कैश सिक्योरिटी का आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर